

अपील माल प्रकरण सं० 07/11

दलीप राम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी पंचकोशी तहसील
अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब

— अपीलार्थी

बनाम

1. बहादुर राम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. शान्ति देवी पुत्री खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट बेवा भीमराम जाति जाट निवासी हबा तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर
3. मुन्नी देवी पत्नि ख्यालीराम पुत्री खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी हबा तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर
4. संदीप पुत्र आदराम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी पंजाब
5. शीला पुत्री आदराम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी पंजाब
6. खमला पत्नि आदराम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी पंजाब
7. महेन्द्रराम
8. पृथ्वीराम
9. पालराम
10. कार्लराम पिसरान मनफैलराम आदराम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाति जाट निवासी धौलीपाल जिला हनुमानगढ़
11. विमला पुत्री मनफैलराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
12. कलावती पत्नि मनफैलराम पुत्र खानन्द उर्फ खोदान जाट निवासी धौलीपाल जिला हनुमानगढ़
13. स्टे ट ऑफ राजस्थान

रेस्पॉन्डेंट्स

अपील विरुद्ध इंतकाल संख्या 266 दिनांक 31.01.2008 नाथब तहसीलदार,
(राजस्थान), चूनावट

- उपस्थित :
1. श्री खोपतराम, अधीनार्थी
 2. श्री मनोज कुमार, अधीनार्थी संख्या 1, 8, 10
 3. श्री मनोहर लाला सहरण, अधीनार्थी, रेस्पॉन्डेंट संख्या 2,3,5,6
 4. एक पक्षीय कार्यवाही रेस्पॉन्डेंट संख्या 4, 7, 9, 11, 12
 - राजकीय अधीनार्थी, रेस्पॉन्डेंट संख्या 13

अधीनार्थी (श्री)
अधीनार्थी (श्री)



में विरत जांच नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलार्थीन इंतकाल दोषपूर्ण एवं अतिपूर्ण होने से पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रश्नित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थीन इंतकाल संख्या 266 दिनांक 31.01.2008 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रश्नित किया जाता है कि सम्बन्धित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उपपक्षीयक, अबाइर द्वारा दिनांक 19.04.1989 को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में गहन जांच कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेज रेकाई के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23-06-15 को भरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय (मुंबई)
अधीनस्थ न्यायालय (मुंबई)
(करणीय गोरवेल)
23/6/15

